संख्या-04/2020/12 ई-2/तेरह-2020-166/2017

प्रेषक,

आलोक कुमार द्विवेदी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 15 जनवरी, 2020

विषय:-मे. एस.जी.के. इन्टरटेनमेन्ट(एल.एल.पी.) द्वारा संचालित रेस्टोरेन्ट काप्स एण्ड करीज, थर्ड फ्लोर वी.वी.आई.पी. स्टाईल मॉल, राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद को एफ.एल.-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को सम्बोधित अपने पत्र सं.-207/5/एफ.एल.-7/बार अनु./काप्स एण्ड करीज, दिनांक 10-12-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 10-12-2019 द्वारा उपलब्ध कराई गई जिला बार समिति की बैठक दिनांक 28-11-2019 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-जी-198/दस-लाइसेंस-63/एफ.एल.-7/एस.जी.के. इन्टरटेनमेन्ट/बार अनु./गाजियाबाद, दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त मे. एस.जी.के. इन्टरटेनमेन्ट(एल.एल.पी.) द्वारा संचालित रेस्टोरेन्ट काप्स एण्ड करीज, थर्ड फ्लोर वी.वी.आई.पी. स्टाईल मॉल, राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद को एफ.एल.-7 बार अनुज्ञापन देने की स्वीकृति एतद्द्वारा इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत होटल/रेस्टोरेन्ट्स में आने वाले आगुन्तकों को वाहनों के कारण सार्वजनिक रास्ते पर आवागमन बाधित नहीं होगा, पार्किंग स्थल का स्पष्ट चिन्हांकन किया जायेगा। इकाई के अग्शिमन यन्त्र पूर्णतः क्रियाशील अवस्था में होंगे। इकाई द्वारा सी.सी.टी.वी. कैमरे, प्रवेश द्वार पर डी.एफ.एम.डी. (डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर) एवं सुरक्षा कर्मियों की समुचित/पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

संख्या-04/2020/12 ई-2/तेरह-2020 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-जी-198/दस-लाइसेंस-63/एफ.एल.-7/एस.जी.के. इन्टरटेनमेन्ट/बार अनु./गाजियाबाद, दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।